

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	32/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौर/ कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>6-2-25</u> को पेश की गई।
	62/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौर/ कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>14-2-25</u> को पेश की गई।
	142/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौर/ कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>17-2-25</u> को पेश की गई।
	172/25	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौर/ कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्य नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>20-2-25</u> को पेश की गई।
	202/25	पत्रावली पेश हुई। क्लेक द्वारा कन्वोल्यूट/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक <u>18-2-25</u> को पेश की गई।
<p>0/7</p> <p>अपेक्षित 2 पलगा. 7 एवं 10 की ओर</p> <p>19/3/2025</p>	183/25	पत्रावली पेश हुई। वसील पक्षकार उपस्थित। अपेक्षित संख्या 2, पलगा. 7 एवं 10 की ओर

फर्द अहकाम

गिराची

बनाम ११०१ पत्र

नाम न्यायालय SD ०
केस संख्या 56/24

(2024/121)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>कमील भी गिराची पत्रापर उपस्थित कमील पक्षों ने पक्षीय मोर से पक्षता पत्र, क्र. क्र. ११७ प्र. पत्र विद्वां विवे जाने हेतु पेश किया अतः पक्षता पत्र पर कमील पक्षों को सुनवाई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करते एवं कमील पक्षों को उक्त पक्षता पत्र पर सुनने के पश्चात विवादित भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है तथा वाद पत्र में प्रारम्भिक दिक्की जारी की जा चुकी है ऐसी स्थिति में पक्षकारों को अगले १७ से पाबन्द किया जाता अचित नहीं पाते हैं अतः पक्षीय पक्षता पत्र क्र. क्र. ११७ प्र. पत्र विद्वां सीमा विद्वां जाने १७ को विद्वां विवे जाने की अधुमति दी जाती है। पक्षीय पक्षता पत्र १७ विद्वां सीमा होने से</p>	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय 570 ^{जिरादारी} बनाम 210152

केस संख्या 52/24 (2024/म)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>आवेदन पर आधारित निवेदन प्राप्त प्राप्त हीन होने से खारिज किया जाता है। न्यायालय जाला जिला 12.3.24 को जारी अज्ञात (अज्ञात आदेश) प्रभाव रूप होने से निरस्त किया जाता है। धनावली फौजल थुम्मा होकर साइ कमल दारिजल दफ्तर से</p> <p>उप खण्ड अधिकारी बस्ती (जिला जयपुर)</p>	